...23 अतः पत्रावली दिनांक 22.9.23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

22/9/23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो।

29.9.23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3/10/23 को पेश हो।
तहसीलदार मांडल से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

3-10-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे आधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंक डायरी की फोटो प्रति एंव जमाबंदी की नकल सम्वत 2075-2078 की नकले प्रस्तुत की।
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम नानकपुरा पटवार हल्का दांता कला तहसील मांडल मे स्थित है जो काना पिता धीसा गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2015-2018 से होती है। प्रार्थी ने अपना नाम काना न होकर कन्हैयालाल होना अंकित किया है। जिसकी ताईद मे आधार कार्ड की फोटो प्रति बैंक डायरी की फोटो प्रति, जमाबंदी सवंत 2015-2018 के खाता सं. 171, 172, 18 से होती है। जिसमे प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता धीसा गुर्जर है। उसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे भी काना पिता धीसा गुर्जर के बजाय कन्हैयालाल पिता धीसा गुर्जर दर्ज कराना चाहता है। इस बाबत तहसीलदार माण्डल व पटवारी हल्का ने भी काना के बजाय कन्हैयालाल किये जाने मे न्याय संगत बताया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत: :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नानकपुरा पटवार हल्का दांता कला तहसील मांडल जिला -भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 03 [illegible] आराजी नम्बर 68, 69, 70, 71, 72, [illegible] 78, 79, 81, 82, 92, 93 [illegible] 3.3133 हैक्टेयर व खाता संख्या 2[illegible] मे आराजी नम्बर 110, 111, 763/110 कुल किता 03 कुल रकबा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] धिकारी
मांडल जि[illegible] [illegible]लवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स हाकिम	
	0.5817 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 177 में आराजी नम्बर 224, 225 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8138 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 21 मे आराजी नम्बर 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 66, 764/34, 764/110 कुल किता 15 कुल रकबा 8.2202 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम काला के बजाय कन्हैयालाल पिता धीसा गुर्जर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड मे संशोधन किया जावे। बैंक का रहन यथावत रहेगा। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested